## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 824 / 2024

अनवान : –

1. मोहनलाल पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सतवीर पुत्र महावीर जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. धर्मवीर पुत्र महावीर जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा / रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

**– वादी**

**बनाम्**

1. सुरजाराम पुत्र मेहरचन्द जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. जगदीश पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. रोशनी पुत्री सुरजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. गीता पुत्री सुरजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. मोहनी पुत्री सुरजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. महावीर पुत्र शान्ती पुत्र जैसाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. रचना पुत्री महावीर जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
8. टिलू पुत्री महावीर जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा / रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

**– प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955**

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

**निर्णय** दिनांकः 02/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 46 / 46 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 16.9720 है0 मुश्तरका खाता की भूमि में से मृतक धर्मपाल पुत्र सुरजाराम का 6163 / 127290 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी संख्या 6 के 24651 / 169720 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी संख्या 1 के सगे भाई धर्मपाल पुत्र सुरजाराम (लावल्द फौत) हो चुका है जिसके वारिस सुरजाराम (पिता) मोहनलाल (भाई), जगदीश (भाई), रोशनी (पुत्री), गीता (पुत्री), मोहनी (पुत्री) है एवं प्रतिवादी संख्या 6 के दो पुत्र वादीगण संख्या 1 ता 2 व 2 पुत्री प्रतिवादी 7 व 8 है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:41:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जिनका उपरौक्त भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी संख्या 1 का पिता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुका है तथा प्रतिवादीया संख्या 3 ता 5 जो कि वादी संख्या 1 की बहिने उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 6 अपने नाम दर्ज उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक हक हिस्सा है वह अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुका है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रोही मौजा 1 एजी तहसील टिब्बी में अलग से भूमि दर्ज है। इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 1, व 3 ता 5 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 46/46 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 16.9720 है0 में से 6163/127290 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं इसी खाता में 24651/169720 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 2 ता 3 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण धर्मपाल व सदस्य प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही त[illegible] सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्ष[illegible] वादी ने कथन किया कि उपरोक्त वादी वादी की दादालाई [illegible] जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में धर्मपाल के [illegible]म दर्ज है। वादी संख्या 1 के सगे भाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:41:42 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी
नोहर

धर्मपाल पुत्र सुरजाराम (लावल्द फौत) हो चुका है जिसके वारिस सुरजाराम (पिता) मोहनलाल (भाई), जगदीश (भाई), रोशनी (पुत्री), गीता (पुत्री), मोहनी (पुत्री) है एवं प्रतिवादी संख्या 6 के दो पुत्र वादीगण संख्या 1 ता 2 व 2 पुत्र प्रतिवादी 7 व 8 है जिनका उपरौक्त भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी संख्या 1 का पिता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुका है तथा प्रतिवादीया संख्या 3 ता 5 जो कि वादी संख्या 1 की बहिने उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 6 अपने नाम दर्ज उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक हक हिस्सा है वह अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुका है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रोही मौजा 1 एजी तहसील टिब्बी में अलग से भूमि दर्ज है। इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 1, व 3 ता 5 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 46/46 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 16.9720 है0 मुश्तरका खाता की भूमि में से मृतक धर्मपाल पुत्र सुरजाराम का 6163/127290 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी संख्या 6 के 24651/169720 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि उपरोक्त वादी वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में धर्मपाल के नाम दर्ज है। वादी संख्या 1 के सगे भाई धर्मपाल पुत्र सुरजाराम (लावल्द फौत) हो चुका है जिसके वारिस सुरजाराम (पिता) मोहनलाल (भाई), जगदीश (भाई), रोशनी (पुत्री), गीता (पुत्री), मोहनी (पुत्री) है एवं प्रतिवादी संख्या 6 के दो पुत्र वादीगण संख्या 1 ता 2 व 2 पुत्र प्रतिवादी 7 व 8 है जिनका उपरौक्त भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी संख्या 1 का पिता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुका है तथा प्रतिवादीया संख्या 3 ता 5 जो कि वादी संख्या 1 की बहिने उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 6 अपने नाम दर्ज उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक हक हिस्सा है वह अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुका है क्योंकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:41:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रोही मौजा 1 एजी तहसील टिब्बी में अलग से भूमि दर्ज है। इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 1, व 3 ता 5 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादीया संख्या 1, व 3 ता 5 ने अपाना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा मृतक धर्मपाल के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 46/46 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 16.9720 है0 भूमि में से 6163/127290 हिस्सा भूमि में मृतक धर्मपाल पुत्र सुरजाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा पूर्व में दर्ज हिस्सा में सम्मिलित कर निवास रामपुरा उर्फ रामसरा दर्ज किया जावे तथा इसी खाता में 24651/169720 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 6 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 2 ता 3 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:41:42 IST
Reason: SelfAttested

# पर्चा डिक्री

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 824 / 2024
अनवान : –

1. मोहनलाल पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सतवीर पुत्र महावीर जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. धर्मवीर पुत्र महावीर जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा / रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– **वादी**

**बनाम्**

1. सुरजाराम पुत्र मेहरचन्द जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा तहसील टिब्बी।
2. जगदीश पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी ।
3. रोशनी पुत्री सुरजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा तहसील टिब्बी।
4. गीता पुत्री सुरजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा तहसील टिब्बी।
5. मोहनी पुत्री सुरजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा तहसील टिब्बी ।
6. महावीर पुत्र शान्ती पुत्र जैसाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. रचना पुत्री महावीर जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
8. टिलू पुत्री महावीर जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा / रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 824 सन 2024 निर्णय दिनांक** 02/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 46 / 46 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 16.9720 है0 भूमि में से 6163 / 127290 हिस्सा भूमि में मृतक धर्मपाल पुत्र सुरजाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा पूर्व में दर्ज हिस्सा में सम्मिलित कर निवास रामपुरा उर्फ रामसरा दर्ज किया जावे तथा इसी खाता में 24651 / 169720 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 6 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 2 ता 3 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो [illegible] राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 2/9/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:41:42 IST
Reason: SelfAttested